

>

Title: Regarding Import of Wheat.

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : महोदय, मैं आज सदन के माध्यम से दिनांक 22 अक्टूबर, 2007 को आउटलुक पत्रिका में विदेश से आने वाला गेहूं महंगा होने के साथ ही घटिया होने के भी आसार, संबंधी प्रकाशित लेख के विषय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र द्वारा आयातित गेहूं के जिन 265 नमूनों की जांच के लिए सरकारी प्रयोगशाला में भेजा था, उनमें से 229 नमूनों की रिपोर्ट आई है कि वह गेहूं इंसानों के खाने योग्य भी नहीं है। रिपोर्ट आने के बावजूद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के कुछ इलाकों में इसका वितरण अब भी जारी है। महाराष्ट्र के कुछ सांसदों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से गुहार लगाई है कि सरकारी योजना के तहत वितरित हो रहे इस ताल गेहूं पर तुरंत रोक लगाई जाये।

महोदय, कुछ खास बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उंची कीमत पर गेहूं आयात का ठेका दे दिया गया। जबकि सरकार का ही एक उपक्रम पी.ई.सी लिमिटेड इसे कम कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए तैयार था। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियां ग्लेनकोर, टोएफर, स्टारकॉम और कारगिल को करीब 390 डालर यानी 15 हजार 578 रुपये प्रति टन के हिसाब से इसे आयात करने का ठेका दे दिया गया। महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ।